संख्या-1/2019/एस-3-825/दस-134(17)/2004टी0सी0

प्रेषक

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
कोषागार उत्तर प्रदेश,
जवाहर भवन, लखनऊ

वित्त सेवाये अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर 2019**

विषय- प्रदेश के कोषागारों में माह के द्वितीय शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा बैंकों में माह के द्वितीय शनिवार को सार्वजनिक अवकाश की व्यवस्था लागू किये जाने एवं राज्य सरकार के शासकीय कार्यालयों में पूर्व से ही माह का द्वितीय शनिवार सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा तात्कालिक प्रभाव से प्रदेश के समस्त कोषागारों में भी माह के द्वितीय शनिवार को सार्वजिनक अवकाश घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्णय के फलस्वरूप कोषागार कर्मचारियों को माह के द्वितीय शनिवार को सार्वजनिक अवकाश की सुविधा अनुमन्य हो जाने एवं वर्तमान में उन्हें भी राज्य सरकार के अन्य शासकीय कर्मचारियों को अनुमन्य समस्त राजपत्रितअवकाश की सुविधा अनुमन्य होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3-708/दस-2014-134(17)/2004 टी0सी0 दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 की व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाने के फलस्वरूप राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुये उक्त शासनादेश द्वारा कोषागारों में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुमन्य मानदेय की सुविधा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

भवदीय
(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2019/एस-3-825(1) /दस-134(17)/2004टी0सी0, तददिनांक।:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, आडिट प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त लेखा अनुभाग-1/2।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।